<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।</u>

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024 **दिनांक 06/06//2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्य़ाःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 05.06.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

<u>01. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा ग्राम चौकिया में दिनांक 03.06.2024 को हुई हत्या की घटना में नामजद अभियुक्त को मय आलाकत्ल 01 अदद कैंची के साथ किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना स्थानीय पर दिनांक 03.06.2024 को मृतक मिथिलेश उर्फ गुड्डू पुत्र जमुना निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर की हुई हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 228/2024 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त श्रीराम पुत्र स्व0 किशुन राम निवासी ग्राम चौकिया थाना कोतवाली गाजीपुर जिसने अपने साले मिथिलेश उर्फ गुड्डू राम उपरोक्त को शराब पीने के दौरान हुए वाद-विवाद को लेकर कैंची से हमला कर हत्या कर दी थी, को आज दिनांक 05.06.2024 को सैनिक चौराहा के पास से समय करीब 05.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त उपरोक्त द्वारा घटना में प्रयुक्त एक अदद कैंची जिस पर खून लगा हुआ है, को ग्राम चौकिया के बाहर झाड़ी से बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>विवरण पूछताछः-</u>

अभियुक्त श्रीराम उपरोक्त से घटना के बारे में पूछताछ करने पर बताया कि साहब दिनांक 02.06.2024 को मेरे बड़े भाई राजेन्द्र राम की लड़की की शादी थी। जिसमें मेरा साला मिथिलेश उर्फ गुड्डू पुत्र जमुना निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर आया हुआ था। हम दोनो ने साथ बैठकर शराब पिया उसके बाद मिथिलेश अपनी बहन ललमा जो मेरी पत्नी है, से मेरे विषय में बात करने लगा कि कमाता नही हूँ औऱ शराब पीता हूँ। इसी बात पर हमें गुस्सा आ गया और घर के अन्दर रखे कैंची से अपने घर के बाहर मिथिलेश पर कई वार कर मार दिया। जब हमें लोग पकड़ना चाहे तो मै वहाँ से भाग गया औऱ गांव के बाहर झाड़ी में कैंची को फेंक दिया। घटना मे प्रयुक्त एक अदद कैंची अभियुक्त द्वारा गांव के बाहर झाडी से बरामद कराया गया।

<u>गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

श्रीराम पुत्र स्व0 किशुन राम निवासी ग्राम चौकिया थाना कोतवाली गाजीपुर उम्र करीब 40 वर्ष

<u>बरामदगी-</u>

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद कैंची

आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 228/2024 धारा 302 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर